[2020] 4 एस. सी. आर. 719

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर

(2011 की सिविल अपील सं. 9775)

अप्रैल 24,2020

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 2 (24) , 90 – दोहरा कराधान परिहार समझौता (डी. टी. ए. ए.) उत्तरदाता, एक कंपनी

यू. ए. ई. में निगमित यू. ए. ई. से भारत में विभिन्न स्थानों पर राशि स्थानांतरित करने के लिए प्रेषण सेवाओं की पेशकश करने में लगा हुआ था-आर. बी. आई. ने प्रतिवादी यू. / भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (ए)-इसके अनुसार, प्रत्यर्थी ने दायित्व स्थापित किया

भारत में कार्यालय संपर्क कार्यालयों की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थीं

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेषण का विवरण डाउनलोड करना

और फिर भारत में बैंकों पर तैयार किए गए चेक/मसौदों को छापना, और फिर एनआरआई प्रेषक के निर्देशों के अनुसार भारत में लाभार्थियों को कूरियर या प्रेषण-ऐसा करते समय, संपर्क कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में अपने मुख्य सर्वर से जुड़ा रहा और

वहाँ रहने वाली जानकारी भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई

भारत में लाभार्थियों को धन भेजने के लिए-अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के अनुसार, संपर्क कार्यालयों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से होने वाली आय को भारत में उपार्जित माना जाता था-उच्च न्यायालय

विवादित निर्णय को यह मानते हुए रद्द कर दिया कि संपर्क कार्यालयों में प्रत्यर्थी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति केवल

प्रारंभिक और सहायक चरित्र को प्रावधान मानने के आधार पर स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः आर. बी. आई. द्वारा अनुमति

उत्तरदाता यू / एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (ए) ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसने प्रत्यर्थी को भारत में किसी के साथ अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी थी, बल्कि उसे केवल भारत में बैंकों पर निकाले गए चेक/ड्राफ्ट की डिलीवरी की सेवा प्रदान करने की अनुमति दी थी-यहां तक कि अनुमत गतिविधियाँ भी उन शर्तों के अधीन थीं जिनमें कोई परामर्श या कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करना शामिल था।

अन्य सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी विचार के साथ या बिना-शर्तों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कार्यालय व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक की कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा, और न ही

भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम पर कोई व्यावसायिक अनुबंध करेगा-संपर्क कार्यालय आयोग/शुल्क भी नहीं ले सकता था या इसके संबंध में कोई पारिश्रमिक या आय प्राप्त नहीं कर सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में इसके द्वारा की गई गतिविधियाँ-इस प्रकार, भारत में प्रत्यर्थी के दायित्व कार्यालय (कार्यालयों) की गतिविधियों को निम्नलिखित द्वारा सीमित किया गया था -

आर. बी. आई. द्वारा दी गई अनुमति प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की थी और इसलिए, कला द्वारा कवर की गई थी। 5 (3) (ई) डी. टी. ए. ए. का-परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाने वाला निश्चित स्थान, स्थायी की परिभाषा के योग्य नहीं होगा।

कला के संदर्भ में स्थापना (पी. ई.)। 5 (1) और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (3) में गैर-अइचन और डीमिंग खंड के कारण डी. टी. ए. ए. के 5 (2) का पालन करना चाहिए कि प्रतिवादी किसी भी कार्य को नहीं कर रहा था।

भारत में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि, लेकिन केवल एनआरआई प्रेषकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रेषण के साथ वितरण यू. ए. ई.-लेन-देन यू. ए. ई. में प्रेषकों के साथ पूरा हो गया था, और उस संबंध में भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा शुल्क/कमीशन के लिए कोई शुल्क एकत्र नहीं किया जा सकता था-इस प्रकार, एस. में निर्दिष्ट कोई आय नहीं। 2 (24) 1961 के अधिनियम की आय भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा अर्जित की जाती है और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में संपर्क कार्यालय पी. ई. नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 डी. टी. ए. ए. का अनुच्छेद 5 (3) एक गैर के साथ खुलता है

5 , यदि अनुच्छेद 5 (3) में से कोई भी खंड लागू होता है, तो यह अभी भी एक पीई नहीं होगा। उसके लिए, गतिविधि के संबंध में कार्यात्मक परीक्षण प्रश्न आवश्यक होगा। [पैरा 8] [743-जी-एच; 748-ए-बी]

1.2 तत्काल मामले में महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं -

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेषण का विवरण डाउनलोड करना और फिर भारत में बैंकों पर तैयार किए गए चेक/ड्राफ्ट को छापना, जो बदले में, एनआरआई प्रेषक के निर्देशों के अनुसार भारत में लाभार्थियों को भेजे जाते हैं या भेजे जाते हैं। ऐसा करते समय, भारत में प्रत्यर्थी का संपर्क कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी के अपने मुख्य सर्वर से जुड़ा रहता है और वहां रहने वाली जानकारी भारत में संपर्क कार्यालयों द्वारा धन के प्रेषण के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है।

एन. आर. आई. प्रेषकों द्वारा भारत में लाभार्थी। [पैरा 8] [745-बी-सी] यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर.

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर

2. आर. बी. आई. द्वारा प्रतिवादी को दी गई अनुमति

1973 के अधिनियम की धारा 29 (1) (ए) के तहत, 24.9.1996 पर यह दर्शाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।

कोचीन में प्रत्यर्थी, शुरू में तीन साल की अवधि के लिए प्रत्यर्थी को सक्षम करने के लिए (i) जल्दी और आर्थिक रूप से

संदिग्ध धोखाधड़ी वाले मसौदों के संबंध में संवाददाता बैंकों से पूछताछ; (ii) भारत में रखे गए बैंक खातों का मिलान करना; (iii) मेल हस्तांतरण की कंप्यूटर (मॉडेम के माध्यम से) सलाह प्राप्त करने वाले संचार केंद्र के रूप में कार्य करना टी. टी. भुगतान संदेश, भुगतान विवरण आदि को रोकें, जो संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिवादी की कई शाखाओं से उत्पन्न होते हैं और अपने भारतीय को प्रेषित करते हैं।

संवाददाता बैंक; (iv) भारतीय रुपये के मसौदों की छपाई

मुख्य कार्यालय से प्रतिकृति हस्ताक्षर और कोच्चि में मुख्य कार्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जवाबी हस्ताक्षर; और (v) भारतीय संवाददाता बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई। ये सीमित गतिविधियाँ हैं जिन्हें प्रत्यर्थी को भारत के भीतर जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति अनुमति नहीं देती है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा राय दी गई है, कि भारत में प्रत्यर्थी के दायित्व कार्यालय (कार्यालयों) की गतिविधियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति से सीमित हैं और प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हैं। चरित्र और इसलिए, अनुच्छेद 5 (3) (ई) द्वारा कवर किया गया है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाने वाला निश्चित स्थान, [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयुक्त अरब अमीरात में एनआरआई प्रेषकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों पर निकाले गए चेक/ड्राफ्ट की छपाई। द. संयुक्त अरब अमीरात में प्रेषकों के साथ लेन-देन पूरा हो गया था, और उस संबंध में भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा शुल्क/कमीशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता था। इसे अलग तरह से रखने के लिए, 1961 के अधिनियम की धारा 2 (24) में निर्दिष्ट कोई भी आय भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा अर्जित नहीं की जाती है और इसलिए, संपर्क कार्यालय डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में पी. ई. नहीं है, (क्योंकि यह केवल प्रारंभिक या सहायक चरित्र की गतिविधि कर रहा है)। सहवर्ती है-संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी द्वारा पूरी की गई प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय से कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है। आर. बी. आई. द्वारा अनुमत भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय को किसी भी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होने और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। यह केवल प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की गतिविधियों को जारी रख सकता है।

उस मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 5 और 9 में डीमिंग प्रावधानों का कोई असर नहीं हो सकता है। [पैरा 9,10,

11] [745 - डी-एच; 746-ए-सी; 748-एफ-एच; 749-ए-सी]

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. आजादी बचाओ आंदोलन और अन्र। (2004) 10 एससीसी 1: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 222 निर्भर

पर।

आय कर आयुक्त, पंजाब बनाम। आर डी अग्रवाल & कंपनी और ए. एन. आर. आकाशवाणी 1965 एससी 1526: [1965] 1 एस. सी. आर. 660; एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, एजेंटों द्वारा,

एम/एस। बेस्ट एंड कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास ए. आई. आर 1953 एस. सी. 105: [1953] एस. सी. आर. 454; आयकर आयुक्त, एपी-आई. आई. टी. बनाम।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (1983) 144 आई. टी. आर. 146 (ए. पी.); आयकर आई. टी. आयुक्त बनाम। डेवी एशमोर इंडिया लिमिटेड (1991) 190 आईटीआर 626 (कैल); लियोनहार्ट एंड्रा अंड पार्टनर, जीएमबीएच बनाम। आयकर आयुक्त (2001) 249 आईटीआर 418 (कैल); आयकर आयुक्त बनाम। आर. एम. मुथैया (1993) 202 आई. टी. आर. 508 (कर्ण)। यूनाइटेड किंगडम की अरेबियन एक्सप्रेस लाइन लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ (1995) 212 आई. टी. आर. 31 (गुजरात); डी. आई. टी. (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), मुंबई बनाम। मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी इंक. (2007) 7 एससीसी 1: [2007] 8 एस. सी. आर. 52; सहायक आयकर निदेशक-1, नई दिल्ली बनाम। ई-फंड्स आईटी सॉल्यूशन इंक. (2018) 13 एस. सी. सी. 294 [2017] 1 एस. सी. आर. 157-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1965] 1 एससीआर 660

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2003] 4 पूरक। एससीआर 222

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[1953] एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2007] 8 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2017] 1 एससीआर 157

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 97

2011 से।

उच्च निगम के 13.02.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली का डब्ल्यू. पी. (ग) 2004 की सं. 14869।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निरंजना सिंह, सुश्री पूर्णिमा भ

सुश्री अनिल कटियार, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

एच. पी. रानीना, विष्णु बी. सहारिया, विरेश बी. सहारिया, विवेक

सहारिया, अक्षत अग्रवाल, मेसर्स। सहारिया एंड कंपनी, एड. टी उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. प्रतिवादी इकाई में निगमित एक सीमित कंपनी है।

अरब अमीरात (यू. ए. ई.) यह यू. ए. ई. से भारत में विभिन्न स्थानों पर राशि स्थानांतरित करने के लिए अन्य के अलावा प्रेषण सेवाओं की पेशकश करने में लगा हुआ है।

इसने फोरी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1973 (संक्षेप में, "1973 एक्ट") की धारा 29 (1) (ए) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई थी (संक्षेप में,

RBI ") दिनांकित 24.9.1996 पत्र के माध्यम से। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" तार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

डाक पेटी सं.

1055

" रिजर्व बैंक "

नियंत्रण विभाग बदलें

फैक्स नं. : 022-

2665330

केंद्रीय कार्यालय

बम्बई

022-

2654121

केंद्रीय कार्यालय निर्माण

कृपया संदर्भ उद्धृत करें। जवाब में

बॉम्बे-400 023।

रेफ. नहीं। ईसी कंपनी एफ. आई. डी. (आई)/137/10-आई-05-02/3975 (गतिविधि)/96-97

एयर मेल/पंजीकृत ए. डी.

यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर एल. एल. सी.,

24 सितम्बर 1996

यू. ए. ई. प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा की धारा 29 (1) (ए) के तहत अनुमति भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए विनियमन अधिनियम, 1973

कृपया अपने नील दिनांकित आवेदन और पत्राचार का संदर्भ लें।

अपने पत्र रेफ के साथ आराम करें। यू. ए. ई. ई. सी./एच. ओ./479/96 दिनांक 9 अगस्त,

1996 शीर्षक वाले विषय पर।

2. हम सलाह देते हैं कि हम आपके संपर्क स्थापित करने के लिए सहमत हैं।

आपको सक्षम बनाने के लिए शुरू में तीन साल की अवधि के लिए कोच्चि में कार्यालय

संदिग्ध धोखाधड़ी मसौदों के संबंध में संवाददाता बैंक, (ii) भारत में रखे गए बैंक खातों का मिलान करना, (iii)

कंप्यूटर प्राप्त करने वाले संचार केंद्र के रूप में कार्य करें (मोडेम के माध्यम से)

डाक हस्तांतरण की सलाह टी. टी. भुगतान संदेश, भुगतान बंद करें

यू. ए. ई. में आपकी कई शाखाओं से उत्पन्न विवरण आदि और

अपने भारतीय संवाददाता बैंकों को भेजना, iv) भारतीय मुद्रा छापना

मुख्य कार्यालय से प्रतिकृति हस्ताक्षर के साथ रुपया ड्राफ्ट और

कोचीन, v) भारतीय संवाददाता बैंकों का अनुसरण करना। 3. कृपया ध्यान दें कि यह अनुमति इसके अधीन दी गई है

निम्नलिखित शर्तें:

भारत और एएनआर। वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपर्युक्त कार्य के अलावा, भारत में कार्यालय वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा और न ही हमारी पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम पर कोई व्यावसायिक अनुबंध करेगा।

कोई कमीशन/शुल्क या कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इस पत्र के पैरा 2 में या अन्यथा भारत में सूचीबद्ध किसी भी गतिविधि के लिए भारत में कार्यालय द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक/अर्जित आय। भारत में कार्यालय का पूरा खर्च वहन किया जाएगा।

विशेष रूप से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशों से प्राप्त धन से भारत में संपर्क कार्यालय हमारे पूर्व के बिना भारत में किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा उधार या उधार नहीं लेगा।

अनुमति ली। भारत में कार्यालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण (पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के अलावा), हस्तांतरण या निपटान नहीं करेगा।

कार्यालय (वार्षिक आधार पर): क) लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि वर्ष के दौरान उनके द्वारा कोई आय अर्जित नहीं की गई थी/या अर्जित नहीं की गई थी।

भारत में कार्यालय;

ख) विदेश से विधिवत प्राप्त प्रेषण का विवरण

इनवर्ड प्रेषण प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित;

ग) कार्यालय के लेखापरीक्षित अंतिम खातों की प्रमाणित प्रति।

भारत में और

घ) भारत में कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें आपके कार्यालय के माध्यम से एनआरआई से प्राप्त वास्तविक प्रेषण का विवरण दिया गया है, जिसके संबंध में कार्यालय ने संपर्क सेवाएं प्रदान की थीं। ङ) नियुक्त/नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और कर्तव्य

प्रत्येक कर्मचारी को सौंपा गया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में संपर्क कार्यालय का प्रभारी नहीं होगा

vii)

सम्पर्क कार्यालय के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक शक्तियों को छोड़कर हस्ताक्षर/प्रतिबद्धता शक्तियाँ

मुख्य कार्यालय से।

viii) संपर्क कार्यालय किसी भी परामर्श के साथ या उसके बिना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई परामर्श या कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करेगा।

विचार करें।

इस तरह के खाते को बनाए रखने के लिए शर्तों के अधीन कि खाते में क्रेडिट कार्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुख्य कार्यालय से प्राप्त धन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और कोई अन्य राशि जमा नहीं की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना। इसी तरह इस खाते में डेबिट केवल कार्यालय के स्थानीय खर्चों को पूरा करने के लिए उठाया जा सकता है। मुख्य कार्यालय खाते की लेखापरीक्षित प्रतिलिपि ऊपर उल्लिखित वार्षिक खातों के साथ हमारे कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जा सकती है।

5. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि इसके द्वारा दी गई अनुमति केवल धारा 29 आई. बी. आई. डी. के प्रावधानों तक सीमित है और किसी भी तरह से किसी भी अनियमितता, उल्लंघन या अन्य को नियमित करने, क्षमा करने या किसी भी तरह से मान्य करने के रूप में नहीं समझी जाएगी।

उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत यदि कोई चूक हो जाती है।

6. कृपया ध्यान दें कि हमारे रिकॉर्ड के लिए उचित समय पर हमें अपने संपर्क कार्यालय का डाक पता दें। आप भविष्य में हमारे कोचीन क्षेत्रीय कार्यालय को पत्राचार संबोधित करने के लिए भी नोट कर सकते हैं।

7. कृपया रसीद स्वीकार करें।

आपकी वफादारी से, एसडी /

(प्रशांत सरन)

उप महाप्रबंधक "भारत और ए. एन. आर. संघ।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

2. प्रत्यर्थी ने अपना पहला संपर्क कार्यालय जनवरी, 1997 में कोच्चि, केरल (भारत) में और उसके बाद भारत में चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और जालंधर में स्थापित किया। उक्त संपर्क कार्यालयों से प्रत्यर्थी द्वारा की गई गतिविधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने दिनांकित 24.9.1996 पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप बताया गया है। भारत में संपर्क कार्यालयों का पूरा खर्च विशेष रूप से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त धन से पूरा किया जाता है। निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके संपर्क कार्यालय व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक, जैसा भी मामला हो, की कोई गतिविधि नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी के पास संपर्क कार्यालयों के संचालन के लिए पट्टे के अलावा भारत में कोई अचल संपत्ति नहीं है। भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किसी भी संपर्क कार्यालय द्वारा कोई शुल्क/कमीशन नहीं लिया जाता है या प्राप्त नहीं किया जाता है। यह दावा किया जाता है कि भारत में किसी भी स्रोत के माध्यम से या उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आय अर्जित नहीं होती है या उत्पन्न नहीं होती है या उत्पन्न होती है या उत्पन्न होती है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 या धारा 9 (संक्षेप में, "1961 अधिनियम") के अर्थ के भीतर कार्यालय। प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रेषण सेवाएं प्रत्यर्थी द्वारा अनिवासी को प्रदान की जाती हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय (संक्षेप में, "एनआरआई")। वह अनुबंध जिसके अनुसार एनआरआई द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी को धन सौंपा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी और एनआरआई प्रेषक के बीच दर्ज किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी द्वारा एनआरआई प्रेषक से एक बार का शुल्क दिरहम 15 लेकर धन एकत्र किया जाता है। एनआरआई प्रेषक से धन एकत्र करने के बाद, प्रत्यर्थी अपने एनआरआई ग्राहक की ओर से दो तरीकों से धन का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण करता हैः

(i) बैंक चैनलों के माध्यम से तार हस्तांतरण द्वारा; या

भारत में संपर्क कार्यालय में विवरण डाउनलोड करने का कार्य शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेषण और भारत में बैंकों पर निकाले गए चेक/ड्राफ्ट की छपाई, जो बदले में, एनआरआई के निर्देशों के अनुसार भारत में लाभार्थियों को भेजी या भेजी जाती है।

प्रेषक। ऐसा करते समय, प्रत्यर्थी का संपर्क कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में अपने मुख्य सर्वर से जुड़ा रहता है, क्योंकि जानकारी वहां के मुख्य सर्वर में निहित होती है, जिसे संपर्क कार्यालय [2020] 4 एस. सी. आर. द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में लाभार्थियों को धन भेजने के उद्देश्य से

एनआरआई प्रेषकों द्वारा भारत।

3. यह कहा गया है कि, 1961 के अधिनियम की धारा 139 के अनुपालन में, प्रतिवादी अपनी आय विवरणी दाखिल कर रहा था, जब से

निर्धारण वर्ष 1998-1999 से लेकर 2003-2004 तक, शून्य आय दर्शाते हुए, जैसा कि प्रत्यर्थी के अनुसार, 1961 के अधिनियम के साथ-साथ भारत गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत भारत में कोई आय अर्जित या उपार्जित नहीं हुई थी।

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार, जिसे दोहरे कराधान से बचाव समझौते (संक्षेप में, "डी. टी. ए. ए".) के रूप में जाना जाता है। यह समझौता (डी. टी. ए. ए.) दोनों संप्रभु देशों के बीच शक्तियों के प्रयोग में किया गया है। 1961 के अधिनियम की धारा 90 के तहत, दोहरे कराधान से बचने और करों और पूंजी पर आय के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से। डी. टी. ए. ए. को अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 710 (ई) दिनांकित 18.11.1993। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किए जाते थे।

प्रत्यर्थी द्वारा आधार, जिसे विभाग द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया था। हालाँकि, जैसा कि कुछ संदेहों पर विचार किया गया था, प्रत्यर्थी ने 1961 के अधिनियम की धारा 245Q (1) के तहत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर), नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन दायर किया (संक्षेप में,

" प्राधिकरण), जिसे ए. ए. आर. सं. 608/2003 के रूप में क्रमांकित किया गया था और निम्नलिखित प्रश्न पर प्राधिकरण के निर्णय की मांग की गई थीः -

" क्या भारत में कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों से भारत में कोई आय अर्जित/उपार्जित मानी जाती है?

प्राधिकरण ने अपने दिनांक 26.5.2004 के फैसले के माध्यम से इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया, अर्थात्, "आय को भारत में उपार्जित माना जाएगा।

आवेदक के संपर्क कार्यालयों द्वारा की गई गतिविधि से

भारत "। प्राधिकरण ने राय दी कि 1961 के अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 (24), 4 और 5 में डीमिंग प्रावधान को देखते हुए, प्रतिवादी-निर्धारिती 1961 के अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसने भारत में स्थित एक "स्थायी प्रतिष्ठान" (संक्षेप में, "पीई") के माध्यम से भारत में व्यवसाय किया था और उद्यम के लाभ पर भारत में कर लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन केवल उतना ही, जैसा कि भारत में संपर्क कार्यालयों (पीई) के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण ने, अन्य बातों के अलावा, पहले मामले के तथ्यों की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई आय अर्जित होती है /

1961 के अधिनियम की धारा 2 (24), 5 (2) और 9 (1) (i) के तहत भारत में प्रत्यर्थी उत्पन्न होता है या उपार्जित/उत्पन्न माना जाता है। इसने नोट किया कि प्रत्यर्थी का व्यवसाय संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा था; प्रेषण के लिए एक अनुबंध राशि एनआरआई के साथ दर्ज की जाती है और भारत के बाहर निष्पादित की जाती है; और भारत और एएनआर का संघ।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यहां तक कि राशि भेजने के लिए कमीशन भी प्रत्यर्थी द्वारा भारत के बाहर अर्जित किया जाता है, इसलिए, जाहिरा तौर पर कोई आय अर्जित नहीं होती है/उत्पन्न नहीं होती है, या भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद इसने धारा 9 (1) (i) का स्पष्टीकरण दिया और कहा कि भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय,

मामले में, यह स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय के सभी संचालन भारत में नहीं किए गए थे। ऐसी स्थिति में, ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि-(i) आवेदक के भारत में 'व्यावसायिक संबंध' हैं; और (ii) व्यवसाय की आय को भारत में ऐसे संचालन से उपार्जित या उत्पन्न माना जा सकता है, जो इस प्रकार किए जाते हैं - भारत। इस पहलू का विश्लेषण करने और वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा अंतःस्थापित धारा 9 (1) (i) के स्पष्टीकरण 2 के बाद, इसने आयकर आयुक्त, पंजाब बनाम इस मामले में इस न्यायालय के फैसले को नोट किया। आर. डी. अग्रवाल और

कंपनी & Anr.[1] और "व्यावसायिक संबंध" अभिव्यक्ति की आवश्यक विशेषताओं को निम्नानुसार निकालाः

" 10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, "व्यावसायिक संबंध" की आवश्यक विशेषताओं का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः -

(क) भारत के बाहर एक अनिवासी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियों के बीच एक वास्तविक और घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

भारत के भीतर गतिविधियाँः

(ख) संबंध आय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है।

अपने व्यवसाय में अनिवासी द्वारा आय का;

((ग) भारत के बाहर अनिवासी के व्यवसाय और भारत में गतिविधि के बीच केवल एक अलग या छिटपुट सांठगांठ नहीं, बल्कि संबंधों के लेन-देन या निरंतरता का एक तरीका,

व्यावसायिक संबंध का मजबूत संकेत "।

इसके बाद इसने फैसले के पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" 11. मान लीजिए, आवेदक के भारत में संपर्क कार्यालय हैं।

वे उन मामलों में ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देते हैं जहां

प्रेषण सीधे भारत संयुक्त अरब अमीरात में बैंकों को भेजे जाते हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां आवेदक को एनआरआई के निर्देशों के अनुसार भारत में लाभार्थियों को राशि भेजनी होती है, संपर्क

1 1 आकाशवाणी 1965 एससी 1526 [2020] 4 एस. सी. आर.

चेक/ड्राफ्ट की जानकारी, मुद्रण और तैयारी और इसे भारत में लाभार्थियों को भेजना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेदक द्वारा कमीशन के माध्यम से आय अर्जित करने में योगदान देता है। संयुक्त अरब अमीरात में आवेदक के व्यवसाय और संपर्क कार्यालयों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बीच भी निरंतरता है। इसलिए, यह माना जाएगा कि भारत में 'व्यावसायिक संबंध' से संयुक्त अरब अमीरात में आवेदक को आय अर्जित/उत्पन्न होती है। तथापि, स्पष्टीकरण (I) को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यावसायिक संबंध से आवेदक को आय का मानित संचय आय का केवल ऐसा हिस्सा होगा जो यथोचित रूप से श्रेय योग्य हो। उन कार्यों के लिए जो भारत में किए जाते हैं।

प्राधिकरण ने डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 और 7 पर भी ध्यान दिया और पैराग्राफ 14 में निम्नानुसार उल्लेख कियाः -

व्यवसाय के एक निश्चित स्थान को केवल एक उद्यम के लिए एक प्रारंभिक की किसी अन्य गतिविधि को जारी रखने के उद्देश्य से बनाए रखना। या सहायक चरित्र, श्री रानीना ने 'सहायक' शब्द का अर्थ दिखाने के लिए विभिन्न शब्दकोशों से उद्धरण हमारे सामने रखे। यहाँ उनका उल्लेख करना अनावश्यक है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि

आम अंग्रेजी उपयोग में 'सहायक' शब्द का अर्थ है मुख्य गतिविधि में सहायता करना, सहायता करना या समर्थन करना। इसलिए, हमें यह पता लगाना है कि क्या भारत में संपर्क कार्यालयों में की जाने वाली गतिविधियाँ भारत के एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. आर. हैं।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केवल मुख्य व्यवसाय का समर्थन करता है या व्यवसाय के मुख्य कार्यों में से एक बनाता है। आवेदक नामित बैंकों या भारत में नामित लाभार्थियों को भारतीय रुपये की राशि भेजने के लिए एक एनआरआई के साथ अनुबंध करता है।

उसे सौंपी गई विदेशी मुद्रा के बराबर। यह सच है कि

अनुबंध संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता है और प्रेषित की जाने वाली राशि के साथ-साथ कमीशन भी संयुक्त अरब अमीरात में प्राप्त होता है। इसलिए अनुबंध संयुक्त अरब अमीरात में निष्पादित किया जाता है। के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अनुबंध आवेदक निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक में राशि का प्रेषण करता है:

संयुक्त अरब अमीरात में स्थापना द्वारा - (i) बैंकिंग चैनलों के माध्यम से या भारत में संपर्क कार्यालयों के माध्यम से अबू धाबी से तार निर्देश द्वारा

(ii) भारत में विभिन्न स्थानों पर लाभार्थियों को संपर्क कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए चेक/ड्राफ्ट के उपकरणों को कूरियर के माध्यम से भेजकर।

जहां तक पहले तरीके का संबंध है, राशि को सीधे यू. ए. ई. से बैंक के माध्यम से हस्तांतरण करके तार द्वारा प्रेषित किया जाता है।

भारत में विभिन्न स्थानों के लिए चैनल और इस तरह के प्रेषण में संपर्क कार्यालयों की कोई भूमिका नहीं है सिवाय इसके कि भारत में प्रेषण के संबंध में शिकायतें, यदि कोई हों,

धोखाधड़ी आदि। यह निस्संदेह सहायक चरित्र का काम है। हालाँकि, कहाँ निस्संदेह सहायक चरित्र का काम है। हालांकि, जहां आवेदक भारत में राशि भेजने के लिए दूसरा तरीका अपनाता है-एक गतिविधि जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है-आवेदक के संपर्क कार्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इंटरनेट से भेजी जाने वाली राशि, लाभार्थियों के नाम और पते के संबंध में डेटा डाउनलोड करते हैं और फिर चेक/ड्राफ्ट प्रिंट करते हैं और उन्हें कूरियर के माध्यम से भारत में लाभार्थियों के पते पर भेजते हैं। दूसरा तरीका अपनाकर राशि भेजने में संपर्क कार्यालयों की भूमिका, कम से कम आंशिक रूप से राशि भेजने के अनुबंध को पूरा करने से कम नहीं है। यह मामला मुख्य गतिविधियों के लिए एक सहायक गतिविधि और प्रदर्शन में एक आवश्यक गतिविधि का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है

संविदात्मक दायित्व। जबकि पहले मोड में, भारत में संपर्क कार्यालयों द्वारा की गई गतिविधि को सहायक चरित्र कहा जा सकता है, वही दूसरे मोड के बारे में नहीं कहा जा सकता है।

डेटा लोड करना, राशि भेजने के लिए चेक तैयार करना, संपर्क कार्यालयों द्वारा कूरियर के माध्यम से इसे भेजना मुख्य कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि एनआरआई द्वारा वांछित राशि लाभार्थियों को भेजे बिना,

अनुबंध का निष्पादन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए दूसरे मोड प्रेषण में संपर्क कार्यालयों की गतिविधियों को सहायक चरित्र का काम नहीं कहा जा सकता है। यह वास्तव में यू. ए. ई. प्रतिष्ठान के मुख्य कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इस प्रकार है कि भारत में आवेदक के संपर्क कार्यालयों के उद्देश्यों के लिए

राशि के प्रेषण का दूसरा तरीका डी. टी. ए. ए. में अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होगा।

प्राधिकरण ने तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में प्रत्यर्थी को प्राप्त होने वाले या उत्पन्न होने वाले लाभ का जितना हिस्सा, जो पी. ई., अर्थात् भारत में संपर्क कार्यालयों के लिए जिम्मेदार था, भारत में डी. टी. ए. ए. के तहत भी कर योग्य होगा और इस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रत्यर्थी-निर्धारिती के खिलाफ सकारात्मक रूप से।

4. प्राधिकरण के दिनांक 26.5.2004 के विवादित फैसले के बाद, विभाग ने सम तिथि यानी 19.7.2004 के तहत चार नोटिस जारी किए।

1961 के अधिनियम की धारा 148 क्रमशः निर्धारण वर्षों 2000-2001,2001-2002,2002-2003 और 2003-2004 से संबंधित प्रत्यर्थी को संबोधित करती है। इसलिए प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के दिनांकित 26.5.2004 के फैसले को रद्द करने, कथित नोटिसों को रद्द करने और एक याचिका के लिए रिट याचिका संख्या 14869/2004 के माध्यम से नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय") के समक्ष मामले को उठाया।

निर्विवाद तथ्यों में कहा गया है कि प्राधिकरण ने अभिलेख पर प्रासंगिक तथ्यों और सामग्रियों की सराहना करने में स्पष्ट त्रुटि की और विशेष रूप से, 1961 के अधिनियम की धारा 90 के उद्देश्य और इस तय कानूनी स्थिति को गलत तरीके से पढ़ा कि डी. टी. ए. ए. को अधिनियम (1961 के अधिनियम) के प्रावधानों को ओवरराइड करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी के कर दायित्व का आकलन कथित संधि, अर्थात् डी. टी. ए. ए. के प्रावधानों के आधार पर किया जाना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने भारत संघ और ए. एन. आर. में प्रदर्शनी का समर्थन किया। बनाम आजादी बचाओ आंदोलन & Anr.[2] in पैराग्राफ 28 और 29 और फिर निम्नलिखित रूप में देखा गयाः -

2 2 (2004) 10 एस. सी. सी 1 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर.

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 11.2 वर्तमान मामले में, डी. टी. ए. ए. के तहत कर का दायित्व अनुच्छेद 7 द्वारा नियंत्रित होता है। डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 7 की उप-धारा (1)

स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होंगे, जब तक कि उद्यम अपने स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से दूसरे राज्य में व्यवसाय नहीं करता है। यदि उद्यम उपरोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उसके उतने ही पर, जैसा कि स्थायी रूप से माना जाता है।

स्थापना। इसलिए, भारत में संविदाकारी राज्यों में से किसी एक के उद्यम का कर के कारण दायित्व उत्पन्न होगा यदि जारी किए गए उद्यम, यानी याचिकाकर्ता का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान था। धारा 5 (2) (बी) के प्रावधान और

अधिनियम की धारा 9 (1) (1), हमारे विचार में, कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। में व्यावसायिक संबंध के संबंध में चर्चा

हमारे विचार में, विवादित निर्णय अनावश्यक था। प्राधिकरण को केवल यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत में व्यवसाय करता है। इस उद्देश्य के लिए स्थायी स्थापना की परिभाषा की जांच करना आवश्यक था।

जैसा कि डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 5 (3) (ई) के साथ पढ़ा गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि वह भारत में संपर्क कार्यालय रखता है और इसलिए, स्थायी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

एनआरआई प्रेषक जो "पार्टियों के शब्दों में, राशि भेजने के अनुबंध का प्रदर्शन करने से कम नहीं था"। इस प्रकार, प्राधिकरण ने माना कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से तार हस्तांतरण द्वारा धन के सभी प्रेषण के संबंध में, भारत में संपर्क कार्यालयों की भूमिका एक 'सहायक' चरित्र की है, लेकिन भारत में संपर्क कार्यालयों के माध्यम से धन के प्रेषण के संबंध में यह सच नहीं है। यह इस तर्क पर आधारित था कि [2020] 4 एस. सी. आर. के बिना

अनुबंध के तहत पूर्ण नहीं होता और इस प्रकार, डेटा डाउनलोड करना, राशि भेजने के लिए चेक तैयार करना, संपर्क कार्यालयों द्वारा कूरियर के माध्यम से इसे भेजना, मुख्य कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो थाः

एन. आर. आई. द्वारा वांछित राशि लाभार्थियों को प्रेषित करना। इस तर्क के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत में संपर्क कार्यालयों का काम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात प्रतिष्ठान के मुख्य कार्य के लिए भारत में याचिकाकर्ता का संपर्क कार्यालय एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' का गठन करेगा।

डी. टी. ए. ए. के प्रावधानों के अंतर्गत "।

और फिर, विवादित फैसले के पैराग्राफ 12 में ए के अनुच्छेद 5 और 7 के दायरे का विश्लेषण करते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट किया

" 12 ..... अनुच्छेद 7 के साथ पठित अनुच्छेद 5 के तहत वर्तमान मामले में विचाराधीन डी. टी. ए. ए. के मामले में, किसी उद्यम के लाभ भारत में कर के लिए उत्तरदायी हैं यदि किसी उद्यम को स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करना था, जिसका अर्थ है व्यवसाय का निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 5 (2) (सी) के तहत, अन्य के अलावा, स्थायी प्रतिष्ठान में एक कार्यालय शामिल है। हालांकि, अनुच्छेद 5 (3) जो एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ खुलता है, उन उदाहरणों का उदाहरण है जहां डी. टी. ए. ए. के तहत विभिन्न गतिविधियों को माना गया है।

जो 'स्थायी स्थापना' अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा ही एक अपवर्जन खंड अनुच्छेद में पाया गया है।

5 (3) (ई) जो हैः केवल उद्यम के लिए किसी प्रारंभिक या सहायक चरित्र की किसी अन्य गतिविधि को जारी रखने के उद्देश्य से व्यवसाय के निश्चित स्थान का रखरखाव। 'सहायक' शब्द का सादा अर्थ पृष्ठ 130 पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के 7 वें संस्करण में पाया जाता है जो "सहायक या सहायक, सहायक" के रूप में पढ़ता है। भारत में संपर्क कार्यालयों की एकमात्र गतिविधि केवल ऐसी जानकारी डाउनलोड करना है जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित मुख्य सर्वर में निहित है, जिसके आधार पर भारत में बैंकों में चेक निकाले जाते हैं, जिसके बाद उक्त चेक एनआरआई प्रेषक के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारत में लाभार्थियों को भेजे जाते हैं। क्या ऐसी गतिविधि चरित्र में सहायक के अलावा कुछ भी हो सकती है। साफ तौर पर

हमारे दिमाग में, तत्काल गतिविधि मुख्य गतिविधि की 'सहायता' या 'समर्थन' में होती है। त्रुटि जिसमें, हमारे अनुसार, प्राधिकरण के पास भारत का एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. आर. है।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुच्छेद 5 (3) (ई) को एक खंड के रूप में पढ़ने में आता है जो इस बारे में मूल्य निर्णय लेने की अनुमति देता है कि लेन-देन होगा या नहीं।

जब तक भारत में संपर्क कार्यालयों द्वारा निभाई गई भूमिका को पूरा नहीं किया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अपने एनआरआई प्रेषक को प्रस्तुत किया था। हमारे अनुसार, जिस बात की दृष्टि भटक गई है, वह यह है कि स्थायी स्थापना के संबंध में खंड का आह्वान करके, हम एक काल्पनिक कर के रूप में ऐसी आय पर कर लगाएंगे जो अन्यथा भारत में न तो उत्पन्न हुई और न ही उपार्जित हुई-जब इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो अनुच्छेद 5 (3) में निहित अपवर्जक खंड और विशेष रूप से इस मामले में, उपखंड (ई) को एक व्यापक और उदार भूमिका देनी होगी। एक बार जब किसी गतिविधि को सहायक के रूप में या मुख्य गतिविधि की सहायता या समर्थन के रूप में माना जाता है, तो हमारे अनुसार, यह बहिष्करण खंड के अंतर्गत आता है। यह कहना कि अनुबंध को पूरा करने के लिए एक विशेष गतिविधि आवश्यक थी, एक अर्थ में कहा जाता है प्रत्येक अन्य गतिविधि की तरह जो एक उद्यम लाभ अर्जित करने के लिए करता है, एक उद्यम द्वारा अपने ग्राहक के साथ किए गए दायित्वों को प्रभावी बनाने के अंतिम दृष्टिकोण के साथ होता है। यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किसी भी गतिविधि को प्रारंभिक या 'सहायक' चरित्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। मामले के इस पहलू पर, डी. आई. टी. (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) बनाम मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी 2007 (7) एस. सी. सी. 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि क्या मॉर्गन स्टेनली द्वारा बैक ऑफिस संचालन किया जाता है।

अपने मॉर्गन स्टेनली एडवांटेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में से एक के लिए कंपनी। लिमिटेड में एक स्थायी प्रतिष्ठान होने के रूप में अर्हता प्राप्त होगी भारत। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बैक ऑफिस संचालन भारत-अमेरिका दोहरे कराधान डी. टी. ए. ए. के अपवर्जक खंड अनुच्छेद 5 (3) (ई) के अंतर्गत आता है, जो डी. टी. ए. ए. के समान है।

वर्तमान मामले में विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैक ऑफिस संचालन अनुच्छेद 5 (3) (ई) के दायरे में आता है। मॉर्गन स्टेनली (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारत-अमेरिका डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (1) के अर्थ के भीतर एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' का गठन क्या होगा, यह निर्धारित करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि का कार्यात्मक और तथ्यात्मक विश्लेषण करना होता है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत में स्थित इकाई जो केवल समर्थन करने में लगी हुई थी

मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी, एक गैर-निवासी, के सामने कार्यालय कार्य निश्चित आय और इक्विटी अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं जैसे डेटा प्रोसेसिंग सहायता केंद्र, तकनीकी [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैक ऑफिस प्रचालक होने के कारण सेवाओं और खातों का मिलान

यह भारत-अमेरिका डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (1) के साथ नहीं आएगा।

तदनुसार, उच्च न्यायालय की राय थी कि प्राधिकरण पहले धारा की प्रभावकारिता की जांच करके गलत आधार पर आगे बढ़ा।

भारत में स्थित किसी व्यक्ति के माध्यम से अनिवासी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि में खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट मुख्य कार्य के लिए सहायक या सहायक से अधिक शामिल होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अंततः प्राधिकरण के विवादित फैसले और जारी किए गए नोटिसों को भी रद्द कर दिया 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत विभाग द्वारा, क्योंकि नोटिस उस निर्णय पर आधारित थे जिसे दरकिनार किया जा रहा था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को किसी अन्य आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी, जो कानून में अनुमत हो।

5. व्यथित महसूस करते हुए, विभाग ने निर्णय पर हमला किया है

उच्च न्यायालय एस. एल. पी. (सी) सं. 31276/2011 से उत्पन्न वर्तमान अपील के माध्यम से।

3 एयर 1953 एससी 105 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

6. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरिजीत प्रसाद और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री एच. पी. रानीना को सुना है।

7. दोनों पक्षों ने प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को कमोबेश दोहराया है। प्रतिद्वंद्वी के बारे में सोचने के बाद

प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज प्रस्तुतियाँ और राय, इस अपील में जिस मुख्य मुद्दे का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह हैः क्या प्रत्यर्थी-निर्धारिती की बताई गई गतिविधियाँ योग्य होंगी "प्रारंभिक या सहायक चरित्र" की अभिव्यक्ति? प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है

प्राधिकरण द्वारा, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी "व्यवसाय" में लगा हुआ था और उसके "व्यावसायिक संबंध" थे, जिसके लिए, प्रावधान मानने और 1961 के अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 (24), 4 और 5 के व्यापक आधार पर, जिसमें एंग्लो-फ्रेंच में व्याख्या भी शामिल है।

कपड़ा कंपनी। लिमिटेड (ऊपर) और आर. डी. अग्रवाल एंड कंपनी (ऊपर), यह

1961 के अधिनियम की धारा 90 के तहत प्रदत्त शक्तियां। आजादी बचाओ आंदोलन (ऊपर) के उक्ति को देखते हुए यह स्थिति अब एकीकृत नहीं है। 1961 के अधिनियम की धारा 90 की प्रभावकारिता को चित्रित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश-1 बनाम विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, आयकर आयुक्त बनाम डेवी एशमोर इंडिया, लियोनहार्ट एंड्रा एंड पार्टनर, जीएमबीएच बनाम आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त बनाम आर. एम. यूनाइटेड किंगडम एंड ओआरएस के मुथैया और अरेबियन एक्सप्रेस लाइन लिमिटेड। बनाम भारत संघ, जिसके बाद न्यायालय ने पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" 28. उपरोक्त मामलों के एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में न्यायिक सर्वसम्मति यह रही है कि धारा 90 का उद्देश्य विशेष रूप से केंद्र सरकार को एक आदेश जारी करने में सक्षम और सशक्त बनाना है। दोहरे कराधान से
बचाव समझौते की शर्तों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना। जब ऐसा होता है, तो के प्रावधान

4 (1983) 144 आई. टी. आर. 146 (ए. पी.)

पा.

5 (1991) 190 आई. टी. आर. 626 (कैल)

6 (2001) 249 आई. टी. आर. 418 (कैल) 7 (1993) 202 आई. टी. आर. 508 (कांत) 8 (1995) 212 आई. टी. आर. 31 (गुजरात)

ऐसा समझौता, उन मामलों के संबंध में जिनके लिए वे

लागू होता है, भले ही प्रावधानों के साथ असंगत हो

आयकर अधिनियम। हम तर्क को स्वीकार करते हैं

जिन निर्णयों पर हमने ध्यान दिया है। अगर यह इरादा नहीं था विधायिका के सामान्य सिद्धांत से प्रस्थान करने के लिए

धारा 4 और सामान्य सिद्धांत के तहत कर की प्रभार्यता

अधिनियम की धारा 5 के तहत कुल आय का निर्धारण, तब

उन धाराओं को इसके अधीन बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था

अधिनियम के प्रावधान "। उक्त दोनों को कलमबद्ध करने का उद्देश्य ही

उक्त खंड वाली धाराएँ केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए हैं।

डी. टी. ए. सी. की शर्तों में से जो स्वचालित रूप से ओवरराइड कर देंगे निर्धारण के मामले में आयकर अधिनियम के प्रावधान

आय कर की प्रभार्यता और कुल आय का निर्धारण, डी. टी. ए. सी. की शर्तों के साथ असंगति की सीमा तक।

(जोर दिया गया)

इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, जो पूरी तरह से इस तथ्य पर लागू होता है

वर्तमान मामले में, हमें डी. टी. ए. ए. में प्रावधानों के उद्देश्य के आलोक में उपहास के तहत प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिसे भारत सरकार और यू. ए. ई. सरकार द्वारा निष्पादित किया गया है।

दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशन के परिणामस्वरूप लागू हुआ

. 1993 . उक्त अधिसूचना के पाठ इस प्रकार हैं: -

" आय-कर अधिनियम, 1961: धारा 90 के तहत अधिसूचनाः

गणराज्य की सरकार के बीच समझौता

भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

दोहरे कराधान से बचने और रोकथाम के लिए

आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी और

राजधानी

अधिसूचना जी. एस. आर. सं. 710 (ई), दिनांक 18 नवंबर, 1993

जबकि सरकार के बीच संलग्न समझौता

संयुक्त अरब अमीरात और गणराज्य की सरकार

दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय सुधार की रोकथाम के लिए भारत

आय और पूँजी पर करों के संबंध में चोरी हुई है। द्वारा अधिसूचना के बाद 22 सितंबर, 1993 को लागू

दोनों संविदाकारी राज्य एक-दूसरे को पूरा करने के लिए

भारत और ए. एन. आर. के उक्त एन. आई. ओ. एन. को लागू करने के लिए कानूनों द्वारा आवश्यक कार्यवाही।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुच्छेद 30 के अनुच्छेद 1 के अनुसार समझौता

कहा गया समझौताः

इसलिए अब धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

90 आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), कंपनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 ए और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44 ए के तहत केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त समझौते के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।

संलग्नक

सरकार के बीच एक समझौता

भारत गणराज्य और भारत सरकार

संयुक्त अरब अमीरात बचने के लिए समझौता करता है दोहरा कर और इसकी रोकथाम

करों के प्रति सम्मान के साथ वित्तीय परिवर्तन आय और पूँजी पर।

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

आय और पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक समझौता करके आपसी आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की इच्छा।

निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैंः "

डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 1 का शीर्षक "व्यक्तिगत दायरा" है।

समझौता उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक या एक के निवासी हैं।संविदाकारी राज्यों से। अनुच्छेद 2 "करों को शामिल करने" से संबंधित है,

समझौता लागू होगा। अनुच्छेद 2 इस प्रकार कहता हैः -

" अनुच्छेद 2

करों को शामिल किया गया

1. आय और पूँजी पर कुल आय पर, कुल पूँजी पर या पूँजी की आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को कर माना जाएगा, जिसमें आय के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर कर भी शामिल हैं।

चल या अचल संपत्ति के साथ-साथ पूंजी वृद्धि पर भी।

2. मौजूदा कर जिन पर समझौता लागू होगा वे हैंः

(क) संयुक्त अरब अमीरात मेंः

((i) आय-कर;

((ख) निगम कर;

((iii) धन-कर

(इसके बाद "यू. ए. ई. कर" के रूप में संदर्भित);

((ख) भारत में:

((i) आय-कर, जिस पर कोई अधिभार भी हो;

((iii) धन-कर

(इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित)।

3. यह समझौता आय या पूंजी पर किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा जो संघीय सरकार द्वारा लगाए गए हैं। या इस अनुच्छेद के पैरा 2 में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर संविदाकारी राज्य द्वारा राज्य स्तर पर। द.

संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। कराधान कानून "।

अनुच्छेद 3 सामान्य परिभाषाओं और समझौते में निहित अभिव्यक्ति के अर्थ को संदर्भित करता है, जब तक कि संदर्भ के अनुसार आवश्यकता न हो। अनुच्छेद 4 "अनुबंध के निवासी" से संबंधित है।" . अन्य अनुच्छेद जो हमारे सामने रखे गए प्रश्न से संबंधित हो सकते हैं, वे हैं अनुच्छेद 5 और 7, जो "स्थायी स्थापना" से संबंधित हैं।

और क्रमशः "व्यावसायिक लाभ", जो इस प्रकार हैः

" अनुच्छेद 5

सजा की स्थापना

1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी स्थापना" शब्द का अर्थ है व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से चलाया जाता है।

2. "स्थायी स्थापना" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैंः

ए। प्रबंधन का स्थान;

बी। एक शाखा;

सी।

एक कार्यालय; भारत और ए. एन. आर. वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

डी। एक कारखाना;

ई. एक कार्यशाला; एफ. एक खदान, एक तेल या गैस का कुआँ, एक खदान या कोई अन्य स्थान

जी। एक खेत या बागान; एच. एक भवन स्थल या निर्माण या संयोजन परियोजना या उसके संबंध में पर्यवेक्षी गतिविधियाँ, लेकिन केवल जहां ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधि अधिक समय तक जारी रहती है।

9 महीने से अधिक; आई. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य में कर्मचारियों या अन्य कर्मियों के माध्यम से परामर्श सेवाओं सहित सेवाओं को प्रस्तुत करना, बशर्ते कि ऐसी गतिविधियाँ उसी परियोजना या संबंधित परियोजना के लिए जारी रहें।

किसी भी बारह महीने की अवधि के भीतर 9 महीने से अधिक की अवधि या अवधि के लिए।

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, स्थायी प्रतिष्ठान को शामिल नहीं माना जाएगाः

ए। केवल भंडारण, प्रदर्शन के उद्देश्य से सुविधाओं का उपयोग या उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल की डिलीवरी;

बी। केवल भंडारण, प्रदर्शन या वितरण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडार का रखरखाव; सी। केवल किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडार का रखरखाव;

डी। केवल माल या माल खरीदने या एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव।

उद्यम के लिए जानकारी;

ई. केवल उद्यम के लिए किसी अन्य गतिविधि को जारी रखने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव

एक प्रारंभिक या सहायक चरित्र।

पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां

स्वतंत्र स्थिति के एजेंट के अलावा आर. एस. एन. जिसे रैग्राफ 5 लागू होता है-एक उद्यम की ओर से काम कर रहा है और इसमें, [2020] 4 एस. सी. आर. है।

और आदतन एक संविदाकारी राज्य में उद्यम की ओर से अनुबंध समाप्त करने के लिए एक प्राधिकरण का प्रयोग करता है, वह उद्यम

उस व्यक्ति द्वारा उद्यम के लिए की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में उस राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियाँ उद्यम के लिए वस्तुओं या माल की खरीद तक सीमित न हों। 5. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान नहीं माना जाएगा क्योंकि वह किसी अन्य राज्य में दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या किसी अन्य राज्य के किसी अन्य एजेंट के माध्यम से व्यवसाय करता है।

स्वतंत्र स्थिति, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्य कर रहे हों। हालाँकि, जब ऐसे अभिकर्ता की गतिविधियाँ पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से उस उद्यम की ओर से समर्पित होती हैं, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र स्थिति का अभिकर्ता नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 7

व्यावसायिक लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगा जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय नहीं करता है। यदि उद्यम उपरोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही कर लगाया जा सकता है जितना उस स्थायी लाभ पर लगाया जा सकता है। स्थापना।

2. पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उस लाभ की स्थापना करना जिससे उसे होने की उम्मीद की जा सकती है यदि वह एक अलग और अलग उद्यम था जो समान या समान शर्तों के तहत समान या समान गतिविधियों में लगा हुआ था और उस उद्यम के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था जिसका वह एक स्थायी प्रतिष्ठान है।

3. स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करने में, कटौती खर्चों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो स्थायी प्रतिष्ठान, भारत संघ और ए. एन. आर. के व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं।

इस प्रकार किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक खर्चों सहित, चाहे वह उस राज्य में हो जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है या कहीं और।

4. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर किसी स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा रही है, पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को ऐसे विभाजन द्वारा कर लगाए जाने वाले लाभ का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी जो कि प्रथागत हो।

यह इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।
5. उद्यम के लिए वस्तुओं या माल की स्थायी स्थापना द्वारा केवल खरीद के कारण किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा जब तक कि अच्छा और पर्याप्त न हो।

इसके विपरीत कारण।

7. जहाँ लाभ में आय की वस्तुएँ शामिल हैं जिन पर इस समझौते के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विचार किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

लेख "।

उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती का व्यवसाय का एक निश्चित स्थान था जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से चलाया जा रहा था। हालाँकि, यह तब तक निर्णायक नहीं होगा जब तक कि आगे का निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है कि प्रत्यर्थी का पी. ई. भारत में स्थित था, ताकि भारत में व्यावसायिक लाभ से संबंधित अनुच्छेद 7 को भारत में कर योग्य बनने के लिए आकर्षित किया जा सके, उस हद तक जो भारत में प्रत्यर्थी के पी. ई. के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए, हमें अनुच्छेद 5 पर वापस लौटना पड़ सकता है, जो "स्थायी प्रतिष्ठान (पी. ई.)" से संबंधित है और उसे परिभाषित करता है। व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से चलाया जाता है, उसे पीई माना जाता है। "स्थायी स्थापना (पी. ई.)" शब्द

इसमें अनुच्छेद 5 के खंड 2 में निर्दिष्ट निर्दिष्ट स्थान शामिल होंगे। यह विवाद में नहीं है कि जिस स्थान से भारत में प्रत्यर्थी द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं, वह एक संपर्क कार्यालय है और इसलिए, अनुच्छेद 5 (2) में पी. ई. शब्द के अंतर्गत आएगा। हालाँकि, [2020] 4 एस. सी. आर. का अनुच्छेद 5 (3)।

डी. टी. ए. ए. एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ खुलता है और इसमें एक डीमिंग प्रावधान भी शामिल है। यह भविष्यवाणी करता है कि संबंधित अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, जिसका अर्थ अनुच्छेद 5 के खंड 1 और 2 होगा, यह अभी भी एक पीई नहीं होगा, यदि अनुच्छेद 5 (3) में से कोई भी खंड लागू होता है। उसके लिए, विचाराधीन गतिविधि के संबंध में कार्यात्मक परीक्षण होगा

आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि प्रत्यर्थी भारत में व्यवसाय के निर्धारित स्थान पर प्रारंभिक गतिविधियों को चला रहा था। या सहायक चरित्र। वास्तव में, 1961 के अधिनियम में "व्यवसाय" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः -

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

XXX XXX XXX

(13) " "व्यवसाय" में कोई भी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में कोई साहसिक कार्य या संस्था शामिल है।

उत्पादन; "

"व्यावसायिक संबंध" अभिव्यक्ति को इस प्रकार समझा जा सकता है -

धारा 9 (1), साथ ही, "व्यावसायिक गतिविधि" अभिव्यक्ति का अर्थ भी। हम कुछ समय बाद उन प्रावधानों का विज्ञापन करेंगे और कुछ समय के लिए यह मान लेंगे कि प्रतिवादी की बताई गई गतिविधियाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। हालाँकि, चूंकि भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालयों की बताई गई गतिविधियाँ प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हैं, इसलिए वे निम्नलिखित के अंतर्गत आती हैं -

डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (3) (ई) के तहत श्रेणी को छोड़कर। नतीजतन, इसे डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत एक पी. ई. के रूप में नहीं माना जा सकता है। "प्रारंभिक" शब्द को 1961 के अधिनियम या डी. टी. ए. ए. में परिभाषित नहीं किया गया है। उस अभिव्यक्ति के शब्दकोश अर्थ का पता इस शब्द से लगाया जा सकता है

" प्रारंभिक कार्य "और" ट्रैवॉक्स प्रीपैराटाइर्स ", जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी (ग्यारहवें संस्करण) में इस प्रकार हैः

" तैयारी का काम। ट्रैवेक्स प्रपत्रों को देखें।

ट्रैवॉक्स प्रीपेरेटायर्स। किसी समझौते या क़ानून के अंतिम रूप को तैयार करने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, और विशेष रूप से। एक अंतरराष्ट्रीय संधि;

किसी संधि का मसौदा या विधायी इतिहास।

"सहायक" अभिव्यक्ति को 1961 के अधिनियम या अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है।

डीटीएए। आम बोलचाल में, उस अभिव्यक्ति का अर्थ संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (बारहवें संस्करण) में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैः -

" सहायक-एडज। अतिरिक्त सहायता या सहायता प्रदान करना। एन. एक सहायक व्यक्ति या चीज़। एन. आमेर। स्वयंसेवकों का एक समूह जो

धर्मार्थ गतिविधियों में चर्च, अस्पताल आदि की सहायता करें। भारत संघ और ए. एन. आर.

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (ग्यारहवें संस्करण) में, "सहायक" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः -

" सहायक एड। 1. सहायता या समर्थन। 2. सहायक।

3. पूरक "।

वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेषण का विवरण डाउनलोड करना और फिर भारत में बैंकों पर तैयार किए गए चेक/ड्राफ्ट को छापना है, जो बदले में, भारत में लाभार्थियों को भेजे जाते हैं या भेजे जाते हैं। एनआरआई प्रेषक के निर्देश। ऐसा करते समय, भारत में प्रत्यर्थी का संपर्क कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में अपने मुख्य सर्वर से जुड़ा रहता है और वहां रहने वाली जानकारी भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा एनआरआई प्रेषकों द्वारा भारत में लाभार्थियों को धन भेजने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है। ये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से टेलीग्राफ हस्तांतरण द्वारा प्रेषित धन की आभासी गतिविधि के विपरीत आभासी और शारीरिक गतिविधियों का संयोजन हैं। जहां तक बाद वाले के संबंध में, यह विभाग का मामला नहीं है कि यह 1961 के अधिनियम में प्रावधान के आधार पर कर देयता के लिए आच्छादित और उत्तरदायी होगा।

9. इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या विचाराधीन गतिविधि को "प्रारंभिक या सहायक चरित्र" के अलावा अन्य कहा जा सकता है, हमें 1973 के अधिनियम की धारा 29 (1) (ए) के तहत प्रत्यर्थी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सीमित अनुमति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कथित अनुमति के पैराग्राफ 2 से, यह स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्तरदाता का एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।

कोचीन, शुरू में तीन साल की अवधि के लिए प्रत्यर्थी को सक्षम बनाने के लिए (i) संदिग्ध धोखाधड़ी मसौदों के संबंध में संवाददाता बैंकों से पूछताछ के लिए जल्दी और आर्थिक रूप से जवाब देना; (ii) भारत में रखे गए बैंक खातों का मिलान करना; (iii) मेल हस्तांतरण की कंप्यूटर (मॉडेम के माध्यम से) सलाह प्राप्त करने वाले संचार केंद्र के रूप में कार्य करें टी. टी. भुगतान संदेश, भुगतान विवरण आदि को रोकें, जो संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिवादी की कई शाखाओं से उत्पन्न होते हैं और अपने भारतीय संवाददाता को प्रेषित करते हैं। बैंक; (iv) मुख्य कार्यालय से प्रतिकृति हस्ताक्षर के साथ भारतीय रुपये के मसौदों का मुद्रण और कोच्चि में कार्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जवाबी हस्ताक्षर; और (v) भारतीय संवाददाता बैंकों के साथ आगे बढ़ना। ये सीमित गतिविधियाँ हैं जिन्हें प्रत्यर्थी को भारत के भीतर जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति प्रत्यर्थी-निर्धारिती को भारत में किसी के साथ अनुबंध करने की अनुमति नहीं देती है, बल्कि केवल भारत में बैंकों पर निकाले गए चेक/ड्राफ्ट की डिलीवरी की सेवा प्रदान करने के लिए है। विशेष रूप से, अनुमत गतिविधियों को [2020] 4 एस. सी. आर. द्वारा किया जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थी द्वारा अनुमति के खंड 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी विचार के साथ या उसके बिना कोई परामर्श या कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करना शामिल है और आगे यह कि भारत में संपर्क कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी व्यक्ति से या उसे कोई धन उधार या उधार नहीं देगा। शर्ते

यह पूरी तरह से स्पष्ट करें कि भारत में कार्यालय व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक की कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा, और न ही वह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम पर कोई व्यावसायिक अनुबंध करेगा। भारत में प्रत्यर्थी का संपर्क कार्यालय शुल्क भी नहीं ले सकता है

भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में कमीशन/शुल्क या कोई पारिश्रमिक या आय प्राप्त करें। मुश्किलों से

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने राय दी है कि भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय (कार्यालयों) की संबंधित गतिविधियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति से सीमित हैं और प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया वह निष्कर्ष असाधारण है।

10. उच्च न्यायालय ने डी. आई. टी. (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), मुंबई बनाम मॉर्गन स्टेनली में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण को न्यायोचित बताया था।

& कं. इंक. ', जो एक निर्धारिती के स्थापित होने के मामले से निपटता था

भारत में कार्यालय निश्चित आय और इक्विटी अनुसंधान में मुख्य कार्यालय कार्यों का समर्थन करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई को बैक ऑफिस संचालन, डेटा प्रोसेसिंग और सहायता केंद्र जैसी आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 से 14 में इस प्रकार टिप्पणी कीः -

" 10. हमारे विचार में, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (1) की दूसरी आवश्यकता बैक ऑफिस कार्यों के संबंध में संतुष्ट नहीं है। हमने अग्रिम निर्णय के साथ समझौते की शर्तों की जांच की है

तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ खातों का मिलान भी। यह तय करने के लिए कि क्या एक पीई का गठन किया गया था, किसी प्रतिष्ठान द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि का कार्यात्मक और तथ्यात्मक विश्लेषण करना पड़ता है। यह है।
उस दृष्टिकोण से, हम ए. ए. आर. के इस निर्णय से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में अनुच्छेद 5 (1) के रूप में लागू नहीं है

9 9 (2007) 7 एस. सी. सी. 1 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उन्होंने कहा कि एम. एस. ए. एस. भारत में केवल बैक ऑफिस संचालन करेगा। इसलिए उपरोक्त बैक ऑफिस की सीमा तक

अनुच्छेद 5 (1) का दूसरा भाग प्रभावित नहीं होता है।

13. पीई की अवधारणा को 1961 के अधिनियम में वित्त अधिनियम द्वारा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के वैधानिक प्रावधानों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। 2001. धारा 92-एफ (iii) में "उद्यम" शब्द का अर्थ परिभाषित किया गया है।

जो किसी गतिविधि में संलग्न है, या रहा है, या प्रस्तावित है, उत्पादन से संबंधित, 99

2001 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 14 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि पी. ई. शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि

भारत द्वारा किए गए डी. टी. ए. ए. के संदर्भ में समझा जाए। इस प्रकार इरादा डी. टी. ए. ए. में पी. ई. की अवधारणा और परिभाषा पर भरोसा करना था। हालाँकि, वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार पी. ई. की परिभाषा को आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "आई. टी. अधिनियम") में धारा 92-एफ (iii-ए) के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि पी. ई. में व्यवसाय का एक निश्चित स्थान शामिल होगा जिसके माध्यम से एम. एन. ई. का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है। यही वह जगह है जहाँ डी. टी. ए. ए. के तहत व्यापक अर्थों में पी. ई. शब्द की परिभाषा के विपरीत आई. टी. अधिनियम के तहत समावेशी अर्थों में पी. ई. शब्द की परिभाषा के बीच अंतर है। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसद [2020] 4 एस. सी. आर. के इरादे का संकेत देता है।

पी. ई. की एक समावेशी परिभाषा को अपनाने में ताकि इसे शामिल किया जा सके।

सेवा पीई, एजेंसी पीई, सॉफ्टवेयर पीई, निर्माण पीई, आदि। 14. एक और पहलू है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है,

अर्थात्, अनुच्छेद 5 (3) के तहत पी. ई. का बहिष्करण। अनुच्छेद के तहत

5 (3) (ङ) ऐसी गतिविधियाँ जो प्रारंभिक या सहायक हों।

चरित्र जो व्यवसाय के एक निश्चित स्थान पर किए जाते हैं

पी. ई. का गठन नहीं करेगा। अनुच्छेद 5 (3) एक गैर के साथ शुरू होता है

अस्थाई खंड। इसमें कहा गया है कि जो कहा गया है उसके बावजूद

अनुच्छेद 5 (1) या अनुच्छेद 5 (2) के तहत पीई शब्द नहीं होगा।

केवल व्यवसाय के लिए एक निश्चित स्थान का रखरखाव शामिल है

चरित्र में प्रारंभिक या सहायक हैं। वर्तमान मामले में हमारा विचार है कि उपर्युक्त बैक ऑफिस कार्य करता है।

भारत में एम. एस. ए. एस. द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है।

5 (3) (ई) डी. टी. ए. ए. इसलिए वर्तमान मामले में हमारे विचार से एम. एस. ए. एस.

डीटीएए के अनुच्छेद 5 (1) के तहत एक निश्चित स्थान पीई का गठन नहीं करेगा।

इसके बैक ऑफिस संचालन के संबंध में "।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अंतर करने का प्रयास किया

सेवा पी. ई. उनके अनुसार, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए प्रत्यर्थी के पूर्ण लेन-देन की जांच करनी चाहिए कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य एक सहायक कार्यालय कार्य या सहायक कार्य था। जहाँ तक भारत में संपर्क कार्यालय के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति का संबंध है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, हमने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा है कि वे "प्रारंभिक या प्रारंभिक" प्रकृति के थे। सहायक चरित्र "और इसलिए, अनुच्छेद 5 (3) (ई) द्वारा कवर किया गया है। नतीजतन, प्रत्यर्थी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाने वाला निश्चित स्थान, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (1) और 5 (2) के संदर्भ में पी. ई. की परिभाषा के योग्य नहीं होगा, क्योंकि डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (3) में गैर-अबाधित और डीमिंग खंड है।

11. इस प्रकार कहने के बाद, यह होना चाहिए कि प्रत्यर्थी नहीं था

भारत में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को जारी रखना, लेकिन केवल संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी के मुख्य सर्वर से जानकारी डाउनलोड करके और संयुक्त अरब अमीरात में एनआरआई प्रेषकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों पर तैयार किए गए चेक/ड्राफ्ट को छापकर प्रेषण का वितरण करना। लेन-देन संयुक्त अरब अमीरात में प्रेषकों के साथ पूरा हो गया था, और भारत में भारत संघ और ए. एन. आर. में संपर्क कार्यालय द्वारा शुल्क/कमीशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता था।

इस संबंध में। इसे अलग तरीके से कहें तो धारा में निर्दिष्ट कोई आय नहीं है। 2 (24) 1961 के अधिनियम की आय भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा अर्जित की जाती है और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में संपर्क कार्यालय पी. ई. नहीं है (क्योंकि यह केवल प्रारंभिक या सहायक चरित्र की गतिविधि कर रहा है)। सहवर्ती है-प्राथमिक व्यवसाय के संबंध में भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय से कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है।

संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्थी द्वारा की गई गतिविधियाँ। आर. बी. आई. द्वारा अनुमति के अनुसार भारत में प्रत्यर्थी के संपर्क कार्यालय द्वारा की गई गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं कि प्रत्यर्थी को किसी भी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होने और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने से दूर रहना चाहिए। यह केवल प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की गतिविधियों को जारी रख सकता है। उस मामले में, संविधान की धारा 5 और 9 में प्रावधानों पर विचार करना।

1961 के अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है।

12. सहायक के उक्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

आयकर निदेशक-1, नई दिल्ली बनाम ई-फंड्स आईटी सॉल्यूशन Inc.[1]0 10। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 2 स्पष्ट रूप से उस पृष्ठभूमि का संकेत देगा जिसमें इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे का उत्तर दिया गया था। वही इस प्रकार पढ़ता हैः -

" 2. निर्धारण प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि निर्धारिती का एक स्थायी प्रतिष्ठान था (जिसे इसके बाद "पीई" के रूप में संदर्भित किया गया है) क्योंकि उनका एक निश्चित स्थान था जहां वे अपना व्यवसाय करते थे।

दिल्ली, और इसके परिणामस्वरूप, 1990 के भारत अमेरिकी दोहरे कराधान से बचाव समझौते (जिसे इसके बाद "डी. टी. ए. ए". के रूप में संदर्भित किया गया है) का अनुच्छेद 5 आकर्षित किया गया था। नतीजतन, निर्धारिती भारत में उपरोक्त निश्चित स्थान पी. ई. से अर्जित आय के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। सी. आई. टी. (अपील) ने निर्धारिती की अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 5 आकर्षित था, न केवल इसलिए कि एक निश्चित स्थान था जहां निर्धारिती अपना व्यवसाय करते थे, बल्कि इसलिए भी कि वे अनुच्छेद 5 के तहत "सेवा पी. ई". और "एजेंसी पी. ई". थे। आई. टी. ए. टी. को एक अपील में, आई. टी. ए. टी. ने कहा कि सी. आई. टी. (अपील) का यह मानना सही था कि अनुच्छेद 5 के तहत एक "निश्चित स्थान पी. ई". और "सेवा पी. ई". बनाया गया था, लेकिन "एजेंसी पी. ई". के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि आई. टी. ए. टी. के समक्ष राजस्व द्वारा इसका तर्क नहीं दिया गया था। हालांकि, आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (अपील) से अलग गणना सूत्र पर, सभी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए आय का शून्य आंकड़ा प्राप्त किया। उच्च न्यायालय में निर्धारिती की अपील सफल साबित हुई और उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय द्वारा निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

10 (2018) 13 एस. सी. सी. 294 [2020] 4 एस. सी. आर.

ऊपर उल्लिखित सभी अधिकारियों के, और आगे खारिज कर दिया

हम इन अपीलों में "। न्यायालय ने निर्णयों और संबंधित रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद

पैराग्राफ 22 में निम्नलिखित रूप में देखा गयाः -

" 22. यह रिपोर्ट बताएगी कि मुख्य व्यवसाय का कोई हिस्सा नहीं है।

और दोनों अमेरिकी कंपनियों की राजस्व अर्जित करने की गतिविधि

भारत में एक निश्चित व्यावसायिक स्थान के माध्यम से चलाया जाता है जो उन्हें उनके अधिकार में रखा गया है। ऊपर से यह स्पष्ट है

कि भारतीय कंपनी केवल सहायक सेवाएँ प्रदान करती है जो

विदेशों में ग्राहक। भारत को काम की यह आउटसोर्सिंग नहीं होगी एक निश्चित स्थान पी. ई. और उच्च न्यायालय के फैसले को जन्म दें

इसलिए, इस अंक पर सही है।

(जोर दिया गया)

हम उपयोगी रूप से रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 24 और 26 का उल्लेख कर सकते हैं।

आयन, जो इस प्रकार पढ़ता हैः -

" 24. यह पहले ही देखा जा चुका है कि कोई भी ग्राहक

निर्धारिती भारत में स्थित हैं या उन्होंने कोई प्राप्त किया है

भारत में सेवाएँ। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि

अनुच्छेद 5 (2) (/) में निहित पहला घटक नहीं है

संतुष्ट। हालांकि, विद्वान अटॉर्नी जनरल, पर भरोसा करते हुए

ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी के पैरा 42.31 ने तर्क दिया है कि सेवाएँ

भारत के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसका मतलब यह नहीं है कि वे

भारत में ग्राहकों को प्रस्तुत करना होगा। का पैरा 42.31

ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी निम्नानुसार हैः

" 42.31 . ..... प्रासंगिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं या नहीं

किसी राज्य के निवासी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता; जो मायने रखता है वह यह है कि

राज्य में सेवाएँ एक व्यक्ति के माध्यम से की जाती हैं। उस राज्य में मौजूद "।

XXX

XXX

XXX

26. हम इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। ध्यान दें। ओइसीडी टिप्पणी के पैरा 42.31 का मतलब यह नहीं है

कि सेवाओं को विदेशी निर्धारिती द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है

भारत। यदि किसी ग्राहक को भारत में सेवा प्रदान की जाती है, तो क्या भारत में या भारत के बाहर निवासी, एक "सेवा पी. ई". भारत और ए. एन. आर. का एन. आई. ओ. एन होगा।

वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारत में स्थापित। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देखा है, नहीं। ग्राहक, निवासी या अन्यथा, भारत में कोई भी सेवा प्राप्त करता है

मूल्यांकनकर्ताओं। इसके सभी ग्राहक केवल स्थानों पर ही सेवाएं प्राप्त करते हैं।

भारत के बाहर। केवल सहायक संचालन जो ऐसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं

भारत में किया जाता है। ऐसा होने के कारण विज्ञापन देना आवश्यक नहीं है।

दूसरे आधार पर, अर्थात्, कि "अन्य कर्मी" शामिल होंगे

भारतीय कंपनी द्वारा भी नियोजित कर्मचारी, और यह कि

अमेरिकी कंपनियाँ ऐसे कर्मियों के माध्यम से सेवाएँ प्रदान कर रही हैं

अनुच्छेद 5 (2) (1) आकर्षित नहीं है, किसी अन्य के पास जाने का सवाल है। उक्त लेख का कोई हिस्सा सामने नहीं आता है। शायद इसी वजह से

कि मूल्यांकन अधिकारी ने इस अंक पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया।

(जोर दिया गया)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम उच्च द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं

प्रतिवादी के सहायक कार्यालयों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति और चरित्र के बारे में और हमारे विचार में, उच्च न्यायालय

प्रारंभिक या सहायक चरित्र के रूप में समान माना जाता है,

अनुच्छेद 5 (3) (ई) के तहत।

13. उच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में मामले की जांच की है।

1961 के अधिनियम की धारा 9 (1) (i) के लिए योजना। के अधिनियमन से पहले

सी. ई. अधिनियम, 2003 (2003 का 32), धारा 9 (1) (i) इस प्रकार हैः -

" भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय मानी जाती है।

9. (1) निम्नलिखित आयों को उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा।

भारत मेंः -

((i) उपार्जित या उद्भूत होने वाली सभी आय, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो,

भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उसके माध्यम से

या भारत में किसी संपत्ति से, या किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे या

संपत्ति भारत में स्थित है। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए-(क) में

एक व्यवसाय का मामला जिसमें सभी संचालन नहीं किए जाते हैं

भारत में, इस के तहत माने जाने वाले व्यवसाय की आय

भारत में उपार्जित या उद्भूत होने वाला खंड इसका केवल ऐसा भाग होगा -

आय जो उचित रूप से किए गए संचालन के लिए जिम्मेदार है

(ख) एक अनिवासी के मामले में, यह नहीं माना जाएगा कि उसे भारत में उन परिचालनों के माध्यम से या उनसे कोई आय अर्जित या उत्पन्न होती है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारत में माल की खरीद तक सीमित हैं -

निर्यात;

(ग) एक अनिवासी के मामले में, एक समाचार एजेंसी चलाने या समाचार पत्र प्रकाशित करने के व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति होने के नाते, पत्रिकाओं या पत्रिकाओं के माध्यम से या भारत से बाहर प्रसारण के लिए भारत में समाचारों और विचारों के संग्रह तक सीमित गतिविधियों के माध्यम से या उनसे भारत में कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी।

((घ) गैर-निवासी के मामले में,

(1) एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है; या

(3) एक कंपनी जिसका कोई शेयरधारक नहीं है भारत का नागरिक या जो भारत में निवासी है, भारत में किसी भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म की शूटिंग तक सीमित ऐसे संचालन के माध्यम से या संचालन से ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, स्पष्टीकरण 2 आया खंड (i) के पुनः क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के बाद सम्मिलित किया जाए।

उप-1.4.2004 से प्रभावी धारा 9 की धारा (1)। वही इस प्रकार पढ़ता हैः -

" भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय मानी जाती है। 9. (1) निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगाः -

((i) उपार्जित या उद्भूत होने वाली सभी आय, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो,

भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उसके माध्यम से

संपत्ति भारत में स्थित है। स्पष्टीकरण 1.

XXX

XXX

भारत और ए. एन. आर. का XXX. वी. यू. ए. ई. एक्सचेंज सेंटर [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्पष्टीकरण 2. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "व्यावसायिक संबंध" में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से की गई कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शामिल होगी, जो अनिवासी की ओर से कार्य करता है,

(क) भारत में गैर-निवासी की ओर से संपर्क समाप्त करने का अधिकार रखता है और आदत से प्रयोग करता है, जब तक कि उसकी गतिविधियाँ वस्तुओं या माल की खरीद तक सीमित न हों।

गैर-निवासी के लिए; या

(ख) ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आदतन भारत में माल या माल का एक भंडार रखता है जिससे वह नियमित रूप से वितरण करता है।

(ग) आदतन भारत में आदेशों को सुरक्षित करता है, मुख्य रूप से या पूरी तरह से गैर-निवासी या गैर-निवासी और अन्य गैर-निवासियों के लिए जो उसी सामान्य द्वारा नियंत्रित, नियंत्रित या अधीन हैं। नियंत्रण, उस गैर-निवासी के रूप में:

बशर्ते कि इस तरह के व्यावसायिक संबंध में कोई भी शामिल नहीं होगा

एक दलाल के माध्यम से की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि, सामान्य कमीशन एजेंट या कोई अन्य एजेंट जिसके पास एक स्वतंत्र एजेंट हो।

स्थिति, यदि ऐसा दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाला कोई अन्य एजेंट सामान्य रूप से कार्य कर रहा है

एक गैर-निवासी (इसके बाद इस परंतुक में प्रमुख गैर-निवासी के रूप में संदर्भित) या ऐसे गैर-निवासी और अन्य गैर-निवासियों की ओर से जो प्रमुख गैर-निवासी द्वारा नियंत्रित हैं। निवासी या सिद्धांत गैर में एक नियंत्रित हित है

निवासी या प्रमुख अनिवासी के समान सामान्य नियंत्रण के अधीन हैं, उन्हें दलाल नहीं माना जाएगा,

सामान्य आयोग अभिकर्ता या एक स्वतंत्र अभिकर्ता स्थिति "।

"व्यावसायिक संबंध" और "व्यवसाय" अभिव्यक्तियों के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। हालाँकि, भले ही बताई गई गतिविधि (आई. ई. एस)

भारत में प्रत्यर्थी के सहायक कार्यालय को व्यवसाय के रूप में माना जाता है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वही "प्रारंभिक या सहायक" है।आर; डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (3) (ई) के आधार पर, भारत में प्रतिवादी का (संपर्क कार्यालय) निश्चित स्थान, अन्यथा एक पी. ई., 754 है।

ऐसा होने से स्पष्ट रूप से बहिष्कृत माना जाता है। और चूंकि एक कानूनी कल्पना द्वारा इसे भारत में प्रतिवादी का पी. ई. नहीं माना जाता है, इसलिए यह डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 7 के संदर्भ में कर देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

14. इसलिए, मामले को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं। हम बी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हैं जो अब तक बताए गए कारण हैं।

15. तदनुसार, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल